

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India  
असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग-II खंड-I  
PART-II Section-I  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, सोमवार, दिसंबर, 30, 1991/पौष 9, 1913  
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 1991, PAUSA 9, 1993

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे की यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

विधि और न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय  
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, सोमवार, दिसंबर, 30, 1991/पौष 9, 1913  
28 दिसंबर, 1991 को राष्ट्रपति की सहमति से प्राप्त निम्नलिखित अधिनियम आम सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1991  
1991 का 59

[28 दिसंबर, 1991]

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 को संशोधित करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 42वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम को कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जाए । संक्षिप्त नाम
2. कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अध्याय-5 में, - अध्याय-5 का  
1984 का 66 (क) "अपीलें" शीर्ष के लिए "अपीलें और पुनरीक्षण" शीर्ष प्रतिस्थापित संशोधन  
किया जाएगा ;  
(ख) भाग-19 में, -  
1974 का 2 (i) उप धारा (2) में " पक्षकारों" शब्द के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-  
"या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय-9 के अधीन पारित किसी आदेश की, ;

परंतु इस उपधारा की कोई बात कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ से पूर्व किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी अपील या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय-9 के अधीन पारित किसी आदेश पर लागू नहीं होगी;

1974 का  
2

- (ii) उप धारा (4) और (5) को क्रमशः उप धारा (5) और (6) के रूप में फिर से अनुक्रमित किया जाएगा और फिर से अनुक्रमित की गई उप धारा (5) से पहले निम्नलिखित उप धारा को अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

“(4) उच्च न्यायालय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, ऐसी किसी कार्यवाही का, जिसमें उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित कुटुंब न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय-9 के अधीन कोई आदेश पारित किया है, अभिलेख, उस आदेश को, जो अंतर्वर्ती आदेश न हो, तथ्यता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है ।

1974 का  
2

ह/-  
वी.एस. रामा देवी  
सचिव, भारत